

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि०न० -111/2019(2019/00180)

अनवान : -

1. सन्दीप पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी सरदारपुरा बास तहसील भादरा।
वादी

बनाम

1. बेगराज पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी सरदारपुरा बास तहसील भादरा।
2. विनोद पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी सरदारपुरा बास तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ जयसिंह उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री लीलाधर अग्रवाल व वकील प्रतिवादी कृष्ण भारी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 एसडीआर के खाता संख्या 114/105 के मु० न० 68 के किला न० 3, 4, 7 ता 9, 11 ता 25 कुल किता 20 की कुल 4.288 हैक्टेयर में से 1.578 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 बेगराज का नाम कलमजन किया जाकर वादी सन्दीप व प्रतिवादी संख्या 2 विनोद को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(जयसिंह)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S.

भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़